यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर** के माह 02/2018 से माह 12/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री असीम मिश्रा एवं श्री आशीष पाण्डेय, व.ले.प, श्री अंशुमन अग्रवाल एवं श्री गोविन्द कुमार सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 19.01.2019 से 29.01.2019 तक श्री हिमांशु मणि लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित किया गया था।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री एफ.आर.खान व.ले.प, श्री अंशुमन अग्रवाल एवं श्री गोविन्द कुमार सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 23.02.2018 से 28.02.2018 तक श्री हिमांशु मणि, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में संपादित की गयी थी। जिसमें राजस्व एवं व्यय हेतु माह 04/2016 से 01/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व एवं व्यय हेतु माह 02/2018 से 12/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः -

3. (ii) (अ) राजस्व का विवरणः विगत तीन वर्षो में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत है :

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2015-16	359.45
2016-17	429.33
2017-18	885.51
2018-19 (upto Dec 2018)	669.14

(ii) (ब) बजट का विवरण

विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः (₹ लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष (` लाख में)**		**स्थपना**		**गैर स्थापना (` लाख में)**		**आधिक्य (+)**	**बचत (-)**
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		स्थापना
2015-16	-	-	315.46	315.46	88.93	88.93	-	-
2016-17	-	-	759.36	759.36	806.06	759.34	-	46.72
2017-18	-	46.72	813.41	813.41	1842.66	1678.46	-	169.20
2018-19 (upto Dec 2018)	-	164.20	759.91	613.03	2251.58	1389.29	-	-

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः (₹ में)

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रा0 अ0**	**प्राप्त**	**व्यय**	**बचत(-)/ आधिक्य (+)**
2015-16	इन्टोसेफेकेशन आफ फारेस्ट मैनेजमेंट	-	675000=00	675000=00	-
2016-17	इन्टोसेफेकेशन आफ फारेस्ट मैनेजमेंट	-	1509000=00	1509000=00	-
2017-18	इन्टोसेफेकेशन आफ फारेस्ट मैनेजमेंट	-	800000=00	701500=00	98500=00
2018-19 (upto Dec 2018)	इन्टोसेफेकेशन आफ फारेस्ट मैनेजमेंट	98500=00	46000=00	-	-

इकाई को बजट आवंटन शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई A श्रेणी की है।

(iii) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव- प्रमुख वन संरक्षक- मुख्य वन संरक्षक- वन संरक्षक- उप वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

माह 09/2018 को विस्तृत जांच हेतु (राजस्व) चयनित किया गया।

माह 03/2018 को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

योजना का चयन: यदि हो तो .....-.....

का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन ..... (प्रतिचयन विधि का नाम अंकित किया जाय) के आधार पर किया गया।

(Vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

व्यय से संबन्धित

भाग-2 (अ)

प्रस्तर 1- टिपान की दरों के त्रुटिपूर्ण तरीके से निर्धारित किए जाने से आधिक्य व्यय।

वनों से लीसा के टिपान/एकत्रीकरण हेतु एक मजदूर सामान्यतः 1000 लीसा घावों पर कार्य करता है **(P/642)**। तदक्रम में बद्रीनाथ वन प्रभाग की कार्ययोजना (2014-15 से 2023-24) के प्रस्तर 14.16.2 में उल्लेख किया गया है कि लीसा का एक पूर्णकालिक मजदूर पूरे लीसा सीज़न (240 दिन) में 1000 लीसा घावों पर कार्य करके 15 कुंतल लीसा निकालता है अतः सुझाव दिया गया कि लीसा टिपान (एकत्रीकरण) हेतु मजदूरी की दर प्रति कुंतल में उतनी होनी चाहिए जितनी कि एक मजदूर को 240 दिन में प्राप्त होने वाली मजदूरी को उत्पादन से भाग करके प्राप्त होती है (टिपान दर प्रति कुंतल में= 240 दिन गुणा एक दिन की मजदूरी ÷ उत्पादन कुंतल में) **(P/263)**। तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि टिपान दर निर्धारित करने का उक्त सुझाव तथा 1000 घावों से 15 कुंतल उत्पादन का तथ्य प्रभाग की पुरानी कार्ययोजना (1993-94 से 2002-03) से लिया गया था **(P/212 & 219)** जब आरक्षित वनों में 239391 घावों से केवल 3600 कुंतल लीसा का उत्पादन **(P/219)** प्रस्तावित था। प्रभाग की वर्तमान कार्ययोजना (2014-15 से 2023-24) में 1000 घावों से 35 कुंतल **(P/266)** लीसा उत्पादन का लक्ष्य है जबकि वास्तव में 30 कुंतल लीसा **(P/518)** उत्पादन किया जा रहा है। अतः, वर्तमान में टिपान दर= (एक मजदूर की 240 दिन की मजदूरी÷30 कुंतल) होनी चाहिए।

प्रभाग की लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2017 एवं 2018 में टिपान दर प्रति 1000 घावों से 15 कुंतल उत्पादन मानकर निर्धारित की गयी **(P/482 & 500)** जिस कारण से टिपान करवाने में आधिक्य व्यय हुआ जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट है-

वर्ष	**15 कुंतल प्रति 1000 घाव मानकर निर्धारित टिपान दर रुपए प्रति कुंतल में**	**30 कुंतल प्रति 1000 घाव मानकर निर्धारित होने योग्य टिपान दर रुपए प्रति कुंतल में**	**दोनो टिपान दरों में अंतर रुपए में**	**कुल उत्पादन कुंतल में**	**टिपान पर आधिक्य व्यय रुपए में**
2017	2912 **(P/482)**	1456	2912-1456 = 1456	7728 **(P/518)**	1456X7728= 11251968
2018	2912 + 2912 का 5 % = 3058 **(P/500)**	1456 + 1456 का 5 % = 1529	3058-1529 = 1529	7853 **(P/518)**	1529X7853= 12007237
योग					**23259205**

तालिका से प्रकट है कि वर्ष 2017 एवं 2018 में लीसा के टिपान की दर वास्तविक उत्पादन 30 कुंतल प्रति 1000 घाव के आधार पर न करवाने के कारण रुपए 2.33 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ।

इस विषय में इंगित किए जाने पर प्रभागीय वनाधिकारी ने उत्तर दिया कि टिपान दर अत्यंत कम निर्धारित होने के कारण वर्ष 2013 में लीसा उत्पादन अत्यंत कम हो गया था अतः उक्त दरों को अनुकूल स्तर पर लाने के लिए कार्ययोजना के प्रावधान के अनुसार 1000 घावों पर 15 कुंतल उत्पादन मानकर टिपान दर निर्धारित की गयी **(P/559)**। तथापि, प्रभागीय वनाधिकारी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वर्तमान में 1000 घावों पर 30 कुंतल वास्तविक उत्पादन हो रहा है **(P/518)** और टिपान दर निर्धारित करने में उक्त तथ्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए था।

अतः, टिपान की दरों के त्रुटिपूर्ण तरीके से निर्धारित किए जाने से रुपए 2.33 करोड़ के आधिक्य व्यय का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

व्यय से संबन्धित

भाग- 2 (ब)

प्रस्तर 1 - अनियमित क्रय ₹ 8.74 लाख।

उत्तराखंड अधिप्राप्ति (प्रॉक्यूरमेंट) नियमावली,2017 के नियम 35 के अनुसार समस्त विभागो में अधिप्राप्ति ई-प्रॉक्यूरमेंट के माध्यम से ढाई लाख से अधिक की धनराशि की समस्त समाग्रियों एव सेवाए ली जायेंगी।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर के केम्पा के अभिलेखो की जांच में पाया गया कि प्रभाग द्वारा ₹ 873600 के जी आई वायर का क्रय बिल स,

87,88,89 द्वारा एक ही दिनांक 22.02.18 को एक ही क्रेता से टुकड़ों में क्रय किया गया तथा उक्त सामग्रियों को क्रय करने के लिए उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार ई-प्रॉक्यूरमेंट प्रक्रिया नहीं अपनाई गयी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने अवगत कराया कि उक्त क्रय भिन्न-2 कार्यों के लिए प्रथक-2 रूप से आवश्यकतानुसार किया गया है। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है कि क्योंकि जी आई वायर का क्रय एक ही दिनांक को एक ही क्रेता से तीन बिलो द्वारा टुकड़ो में किया गया है जिससे ई प्रॉक्यूरमेंट प्रक्रिया को अपनाया न जा सके।

अतः प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

व्यय से संबन्धित

भाग-2 (ब)

प्रस्तर 2- अधिप्राप्ति नियमावली का उल्लघन करते हुए र ₹24.00 लाख मूल्य के कार्य को टुकड़ो में बाटकर संपादित किया जाना।

उतराखंड अधिप्राप्ति नियमावली,2008 के नियम 42 (1) के अनुसार A group of works which forms one project shall be considered one work and technical administrative and financial approval from the competent authority should be taken as one work. The work should not be split just to avoid the procedure of getting the needed approval of the higher authority.

प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग , गोपेश्वर के अभिलेखो की जांच में पाया गया की नमामि गंगे योजना के अंतर्गत वर्ष 2017-18 में (संलगन सूची के अनुसार) मृदा एव जल संरक्षण के तीन स्थानो के कार्यों को ठेकेदारो से टुकड़ों में बाँट कर कराते हुए र 24.00 लाख का भुगतान किया गया तथा प्रत्येक अवसर पर कार्य की सीमा र 3.00 लाख से कम रखी गयी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया की प्रत्येक कार्य प्रभागीय वनाधिकारी के अधिकार सीमा के अंतर्गत थे। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रत्येक अवसर पर कार्य की सीमा र 3.00 लाख से कम थी तथा प्रत्येक कार्य को टुकड़ों में अनावश्यक रूप से विभाजित किया गया जिसका कोई औचित्य नहीं था।

अतः अधिप्राप्ति नियमावली का उल्लघन कर ₹24.00 लाख के कार्य को टुकड़ों में अनावश्यक रूप से कराये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

संलग्नक

क्रम संख्या	कार्य का नाम	धनराशि
1	ठेकेदार रामसिंह को नवाली-iii क स 4अ में मृदा एव जल संरक्षण के अंतर्गत निर्माण कार्य	226400
2	ठेकेदार रामसिंह को नवाली-iii क स 4अ में मृदा एव जल संरक्षण के अंतर्गत निर्माण कार्य	227200
3	ठेकेदार रामसिंह को नवाली-iii क स 4अ में मृदा एव जल संरक्षण के अंतर्गत निर्माण कार्य	112000
4	ठेकेदार रामसिंह को नवाली-iii क स 4अ में मृदा एव जल संरक्षण के अंतर्गत निर्माण कार्य	136800
5	ठेकेदार रामसिंह को नवाली-iii क स 4अ में मृदा एव जल संरक्षण के अंतर्गत निर्माण कार्य	97600
6	ठेकेदार प्रतापसिंह को देवसारी-iii क स 19,20 में मृदा एव जल संरक्षण के अंतर्गत निर्माण कार्य	**219600**
7	ठेकेदार प्रतापसिंह को देवसारी-iii क स 19,20 में मृदा एव जल संरक्षण के अंतर्गत निर्माण कार्य	**227000**
8	ठेकेदार प्रतापसिंह को देवसारी-iii क स 19,20 में मृदा एव जल संरक्षण के अंतर्गत निर्माण कार्य	**118000**
9	ठेकेदार प्रतापसिंह को देवसारी-iii क स 19,20 में मृदा एव जल संरक्षण के अंतर्गत निर्माण कार्य	**152000**
10	ठेकेदार प्रतापसिंह को देवसारी-iii क स 19,20 में मृदा एव जल संरक्षण के अंतर्गत निर्माण कार्य	**83400**
11	ठेकेदार रमेश चंद को देवसारी-iii क स 1,2 में मृदा एव जल संरक्षण के अंतर्गत निर्माण कार्य	**249800**
12	ठेकेदार रमेश चंद को देवसारी-iii क स 1,2 में मृदा एव जल संरक्षण के अंतर्गत निर्माण कार्य	**241900**
13	ठेकेदार रमेश चंद को देवसारी-iii क स 1,2 में मृदा एव जल संरक्षण के अंतर्गत निर्माण कार्य	**232000**
14	ठेकेदार रमेश चंद को देवसारी-iii क स 1,2 में मृदा एव जल संरक्षण के अंतर्गत निर्माण कार्य	**76300**
	योग	**2400000**

व्यय से संबन्धित

भाग-2 (ब)

प्रस्तर 3- वाहन भत्ता की वसूली न किया जाने के कारण अधिक भुगतान ₹ 91200।

उतराखंड शासन के शासनादेश वित्त (व,आ-सा नि) अनु-7 संख्या 745/xxvii (7) 27(20)/2013 देहरादून दिनांक 10 अक्टूबर 2013 के अनुसार फील्ड कर्मचारियो को अनुमन्य स्थाई मासिक भत्ते के स्थान पर वाहन भत्ता र 1200 प्रतिमाह अक्टूबर,2013 से अनुमन्य किया गया था । कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के अनुसार यह पाया गया की विभाग के वन क्षेत्राधिकारियों को (जो कि फील्ड के कर्मचारी है) वाहन विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया है। अतः वाहन विभाग द्वारा उपलब्ध कराने की दशा में वन क्षेत्राधिकारियों को वाहन भत्ता अदा नहीं किया जाना चाहिए था। विभाग द्वारा वाहन के साथ साथ वाहन भत्ता अदा करने के कारण वर्तमान तक र 91200 का का अधिक भुगतान किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने अवगत कराया कि वाहन भत्ता गलत भुगतान कर दिया गया है जिसके वसूली हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की गयी है। तथा वसूली करके कार्यवाही से संप्रेक्षा को अवगत कराया जाएगा।

अतः विभाग द्वारा वसूली करके संप्रेक्षा में सूचित किया जाना अपेक्षित रहेगा।

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या FR-141 वर्ष 2018-19

राजस्व से संबन्धित

भाग-2 (ब)

प्रस्तर 4- लीसा के कम उत्पादन से राजस्व की हानि।

प्रभाग की कार्ययोजना (2014-15 से 2023-24) के प्रस्तर **14.13.1 के अनुसार राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 17–07–2014 में निर्देश दिया गया कि प्रति 100 घाव लीसा उत्पादन का लक्ष्य कम से कम 3.50 कुन्तल रखा जाय। तद्नुसार प्रति 100 घाव लीसा उत्पादन का दर 3.50 कुन्तल प्रस्तावित किया जाता है। कार्ययोजना में लीसा विदोहन हेतु 257000 घाव प्रस्तावित किये गये हैं। तद्नुसार वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य 8995 कुन्तल या 9000 कुन्तल निर्धारित कया जाता है।**
प्रभाग की लेखापरीक्षा में पाया गया कि लीसा फसल वर्ष 2018 में आरक्षित वनों में कुल 257000 लीसा घावों पर कार्य तो किया गया था परंतु उक्त लीसा घावों में से केवल 7853 कुंतल लीसा का उत्पादन किया गया था। अतः, निर्धारित लीसा घावों में विदोहन करने का बावजूद भी कुल 1142 कुंतल (8995 कुंतल-7853 कुंतल) लीसा का कम उत्पादन हुआ। उक्त उत्पादन, जो प्राप्त नहीं हुआ, का वर्ष 2018-19 में बिक्रीत सामान्य लीसे के न्यूनतम मूल्य रुपए 4965 प्रति कुंतल के आधार पर कुल मूल्य रुपए 56.70 लाख (1142 कुंतल गुणा रुपए 4965 प्रति कुंतल) होता है। अतः, वर्ष 2018-19 में लीसा के कम उत्पादन से प्रभाग को रुपए 56.70 लाख के राजस्व की हानि हुई।
प्रभाग से कार्ययोजना में निर्धारित लक्ष्यों (3.5 कुंतल प्रति 100 घाव) के अनुसार उत्पादन न होने का कारण पूछे जाने पर प्रभागीय वनाधिकारी ने अपने उत्तर में बताया की वर्ष 2018 में उत्पादन का लक्ष्य केवल तीन कुंतल प्रति 100 घाव रखा गया था जिसे पूर्ण किया गया। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि वर्ष 2019 में उत्पादन के लक्ष्य को कार्ययोजना के अनुसार 3.5 कुंतल प्रति 100 घाव रखा गया है।
प्रभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रभाग के लिए 3.5 कुंतल प्रति 100 घाव का लक्ष्य जुलाई 2014 से ही निर्धारित कर दिया गया था। अतः, वर्ष 2018 में भी इसी दर से उत्पादन लीसा मेटों से प्राप्त किया जाना चाहिए था।
अतः, ₹ 56.70 लाख के राजस्व की हानि का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

राजस्व से संबन्धित

भाग-2 (ब)

प्रस्तर 5- प्रकाष्ठ की रॉयल्टी का अवरोधन।

वन विभाग में प्रचलित नियमों के अनुसार वन विभाग द्वारा वन निगम को दिये गए प्रकाष्ठ की रॉयल्टी की प्रथम किस्त प्रकाष्ठ आवंटन के वित्तीय वर्ष के मार्च माह में, दूसरी किश्त अगले वित्तीय वर्ष के जून माह में एवं तृतीय किश्त सितंबर माह में भुगतान कर देनी चाहिए।

प्रभाग की लेखापरीक्षा (सितंबर 2018) में पाया गया कि वन निगम को वर्ष 2017-18 में आवंटित की गयी 2814.587 घन मीटर प्रकाष्ठ की रॉयल्टी वन निगम से अद्यतन तक प्राप्त नहीं की गयी थी यद्यपि उक्त प्रकाष्ठ की रॉयल्टी अदा करने की अंतिम तिथि (सितंबर 2018) व्यतीत हो चुकी थी। इस कारण से उक्त प्रकाष्ठ की कुल रॉयल्टी रुपए 69.07 लाख का राजस्व निगम के पास अवरोधित था।

उक्त विषय में इंगित किए जाने पर प्रभागीय वनाधिकारी ने स्वीकार किया कि उक्त प्रकाष्ठ की रॉयल्टी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है और बताया कि उक्त रॉयल्टी विकास कार्यों (सड़क इत्यादि) के पातन से प्राप्त प्रकाष्ठ से संबन्धित है और निगम के आदेश दिनांक 14.09.2016 के अनुसार उक्त प्रकाष्ठ की रॉयल्टी का भुगतान वन विभाग को नहीं किया जाएगा एवं उक्त प्रकाष्ठ के विक्रय से प्राप्त राशि का 80 प्रतिशत भाग विभाग को भुगतान किया जाएगा।

प्रभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वन निगम के एकतरफा आदेश के द्वारा वन विभाग के नियमों को बदलने का कोई औचित्य नहीं है एवं प्रभाग को उक्त रॉयल्टी की निश्चित समय पर मांग करनी चाहिए थी जो कि नहीं की गयी। साथ ही,प्रभाग को वर्तमान में उक्त प्रकाष्ठ के वन निगम द्वारा विक्रय की स्थिति भी पता नहीं है जिससे कि उक्त प्रकाष्ठ से प्राप्त होने वाले राजस्व के विषय में प्रभाग की उदासीनता परिलक्षित होती है।

अतः, रुपए 69.07 लाख के राजस्व का वन निगम के पास अवरोधन का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

राजस्व से संबन्धित

भाग - 2 (ब)

प्रस्तर-6 जमानत जमा न कराया जाना ₹ 41500/-

प्रभाग द्वारा उपलब्ध कराई गयी अधिकारियों/ कर्मचारियों की जमानत जमा संबंधी सूचना के अनुसार प्रभाग के निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों की कुल ₹41500/- की जमानत जमा अवशेष है। जो प्रभाग द्वारा वर्तमान तक जमा नहीं कराई गयी है।

क्र0सं0	नाम	पदनाम	निर्धारित धनराशि	जमा धनराशि	अवशेष धनराशि
1	श्री गंभीर सिंह बिष्ट	वन दरोगा	6000	4000	2000
2	श्री भगत सिंह परमार	वन दरोगा	6000	4000	2000
3	श्री अनूप देवराडी	वन दरोगा	6000	4000	2000
4	श्री चन्दन सिंह कंडारी	वन दरोगा	6000	0	6000
5	श्री मख्खनलाल	वन दरोगा	6000	5000	1000
6	श्री महेशनन्द देवराडी	वन दरोगा	6000	4000	2000
7	श्री राकेश चन्द्र नौटियाल	वन दरोगा	6000	4000	2000
8	श्री देवेंद्र सिंह रावत	वन दरोगा	6000	2000	4000
9	श्री भुवन चन्द्र सिंह	वन दरोगा	6000	0	6000
10	श्री दिग्पाल सिंह	वन दरोगा	4000	0	4000
11	श्री पपेन्द्र कुमार	वन आरक्षी	4000	0	4000
12	श्री बलवीर लाल	चौकीदार	500	0	500
13	श्री बद्री प्रसाद पुरोहित	वन दरोगा	6000	2000	4000
14	श्री गब्बर सिंह बिष्ट	वन आरक्षी	4000	2000	2000
कुल					**41500**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने अवगत कराया की उक्त जमानत जमा की धनराशि जमा करा ली जाएगी।

अत: उक्त धनराशि जमा कराकर सूचित किए जाने की प्रतीक्षा संप्रेक्षा में रहेगी।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
07/2009-10	-	04	
17/2011-12	01	01,02	
114/2014-15	02	01	
15/2016-17	01,02	-	
RS/FR-152/2017-18	-	04	

व्यय से संबंधित: विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
17/2011-12	01	-	
114/2014-15	01	-	
RS/FR/152/2017-18	-	01,02,03	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1)राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2)व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य - टिप्पणी शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

शून्य

2.**सतत् अनियमितताएः शून्य**

3.**लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री एन.एन. पाण्डेय	उप वन संरक्षक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (राजस्व), कार्यालय महालेखाकर (लेखापरीक्षा)-उत्तराखंड, देहारादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
राजस्व क्षेत्र